



# सहकारिता विभाग

एक सब के लिए, सब एक के लिए

## बिहार राज्य फसल सहायता योजना



### रैयत किसान

रबी 2021-22 में ऑनलाईन आवेदन/निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1. आधार संख्या (पंजीकरण के लिए)।
2. आधार रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर (OTP के लिए)।
3. आधार सम्बद्ध बैंक खाता का विवरण।
4. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा राजस्व रसीद।  
(31 मार्च 2021 के पश्चात् निर्गत)
5. स्व-घोषणा-पत्र -  
(चयनित फसल एवं बुआई का रकबा का सही और पूर्ण विवरण)।
6. आवेदक का फोटो।

### रबी 2021-22

#### रबी फसलें 2021-22



#### फसल सहायता योजना की प्रमुख विशेषताएँ

ऑनलाईन  
निबंधन  
की सुविधा।



सभी रैयत, गैर-रैयत एवं आंशिक  
रूप से रैयत तथा गैर रैयत  
दोनों श्रेणी के किसानों के लिए।



सभी प्रमुख रबी  
फसलें  
सम्मिलित



निःशुल्क निबंधन  
एवं पंजीकरण  
प्रक्रिया



7500 रु प्रति हेक्टेयर  
(20% तक क्षति  
होने पर)



10000 रु प्रति हेक्टेयर  
(20% से अधिक क्षति  
होने पर)



#### नोट-

1. रैयत, गैर-रैयत अथवा दोनों श्रेणी में पंजीकरण/आवेदन की सुविधा।
2. एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा।
3. लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान।
4. सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर।
5. नगर पंचायत / नगर परिषद के किसानों को भी योजना का लाभ अनुमान्य।



फसल आपकी सुरक्षा हमारी

### गैर-रैयत किसान

रबी 2021-22 में ऑनलाईन आवेदन/निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1. आधार संख्या (पंजीकरण के लिए)।
2. आधार रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर (OTP के लिए)।
3. आधार सम्बद्ध बैंक खाता का विवरण।
4. स्व-घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य द्वारा मुहरित एवं सत्यापित/  
कृषि सलाहकार द्वारा सत्यापित)।
5. आवेदक का फोटो।
6. एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य

बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2021-22 का  
ऑनलाईन निबंधन / आवेदन प्रारंभ है।

सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल  
<https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/>  
पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना में  
आवेदक निबंधन करा सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नं.-  
18001800110 / 06122200693  
पर सम्पर्क करें।



बिहार में शराब का व्यापार, बिक्री एवं सेवन अवैध है। इससे संबंधित शिकायत इस नंबर पर दर्ज कराएँ, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी।

टोल फ्री नं- 15545 या 1800 345 6268